बैंकों के पास मांग और मियादी जमाराशियां तथा भारतीय रिजर्व बैंक के पास अन्य जमा जनता के पास उपलब्ध मुद्रा (नोटों और सिक्कों सहित) के साथ मिलकर मुद्रा पूर्ति (एम 3) का गठन करते हैं । पिछले तीन वर्षों में मुद्रा पूर्ति निम्नलिखित थी :—

(करोड़ रुपए)

1989–90 . .	2,30,950
1990–91 . .	2,65,828
1991–92 . .	3,15,084

(ग) से (ङ) चालू वित्तीय वर्ष 1992–93 के दौरान मुद्रापूर्ति (एम 3) के विस्तार के लिए 10.4 प्रतिशत का संकेतात्मक लक्ष्य रखा गया है, जिसके प्रचालन में नोट और सिक्के एक संघटक हैं ।

(च) दिसम्बर, 1993 के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 243 के अनुसार प्रचालन में नोटों और सिक्कों का वास्तविक मूल्य 25 दिसम्बर, 1992 को अनुमानतः 27,641 करोड़ रुपए है ।

ऋण राशि को बट्टे-खाते में डालने संबंधी प्रक्रिया को सरल बनाया जाना

876. **श्री राम जेठमलानी :**
श्रीमती सुषमा स्वराज :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या सरकार बैंकों द्वारा बट्टे खाते में डाली जाने वाली राशि में निरंतर वृद्धि को देखते हुए ऋण-राशि को बट्टे खाते में डालने तथा साथ ही उसकी वसूली के संबंध में बैंकों द्वारा अपनाई जा रही वर्तमान प्रक्रियाओं को सरल तथा कारगर बनाने के लिए कुछ नए प्रभावी उपाय करने का विचार रखती है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद) : (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने अशोध्य ऋणों/हानियों को बट्टे खाते डालने तथा देनदारों/ऋणकर्ताओं से समझौते करने के संबंध में विस्तृत दिशानिर्देश जारी कर दिये हैं । ये दिशानिर्देश उन मुद्दों की भी पहचान करते हैं, जिन पर अधिकारियों द्वारा किसी धनराशि को बट्टे खाते डालने से पूर्व विचार किया जाना अपेक्षित है । अन्य बातों के साथ ये दिशानिर्देश यह निर्धारित करते हैं कि वह प्राधिकारी जिसने संदर्भाधीन अग्रिम की स्वीकृति दी थी, वही अधिकारी उसे बट्टे खाते न डाले । दिशानिर्देश में यह भी प्रावधान है कि बट्टे खाते डालने/समझौता करने का निर्णय लेने से पूर्व बकाया की वसूली के लिए सभी सम्भव कदम उठाए जाने चाहिए । बट्टे खाते डाले गए अशोध्य ऋणों/हानियों का एक विवरण समय-समय पर निदेशक मण्डल को प्रस्तुत किया जाना भी अपेक्षित है ।

पश्चिमी बंगाल द्वारा सहायता-राशि का दुरुपयोग

877. **श्री राम जेटमलानी :**
डा० जितेन्द्र कुमार जैन :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दैनिक "टैलीग्राफ" में "सैन्ट्रल टीम टू प्रूव मिसयूज ऑफ फन्ड्स" शीर्षक से छपे समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या यह सच है कि सरकार ने विश्व बैंक सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत दी गई धनराशि के उचित उपयोग की जांच करने के लिए पश्चिमी बंगाल में एक दल भेजा था ;

(ग) क्या सरकार को इस धनराशि के दुरुपयोग के संबंध में कोई रिपोर्ट प्राप्त हुई थी ;

(घ) यदि हां, तो उक्त रिपोर्ट का ब्यौरा क्या है और सरकार को यह रिपोर्ट किस स्रोत से प्राप्त हुई थी ;

(ङ) क्या सरकार द्वारा भेजे गए दल ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है ; और

(च) यदि हां, तो उक्त रिपोर्ट में अन्तर्विष्ट तथ्य क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद) : (क) से (च) यह प्रश्न उल्लिखित समाचार के प्रकाशन से संबंधित तारीख के बारे में सूचित नहीं करता है । किसी भी स्थिति में विश्व बैंक से पश्चिम बंगाल में प्राप्त विदेशी सहायता के इस्तेमाल के किसी सामान्य पहलू पर विचार करने के लिये किसी केन्द्रीय दल का गठन नहीं किया गया है, क्योंकि ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है । विश्व बैंक से सहायता स्पष्ट रूप से निर्धारित परियोजना या कार्यक्रम लक्ष्यों से सम्बद्ध बचत बद्धताओं के रूप में प्रदान की जाती है, और संबंधित अभिकरणों की संतुष्टि से क्षेत्र में सहमत व्यय किये जाने के बाद इसे केवल प्रतिपूर्तियों के रूप में आहरित किया जा सकता है । इस प्रकार, विश्व बैंक सहायता के अन्तर्गत परियोजना व्यय से पहले दी गयी निधियों का दुरुपयोग करने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

विदेशी सहायता में कमी

878. **डा० जितेन्द्र कुमार जैन :**
श्रीमती सुषमा स्वराज :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में आर्थिक सुधारों के लिए आर्थिक नीति में निरन्तर परिवर्तन करने के बावजूद चालू वित्तीय वर्ष के दिसम्बर, 1992 तक के पहले नौ महीनों में विदेशी आर्थिक सहायता में पिछले वर्ष की तुलना में कमी हुई है ;

(ख) यदि हां, तो अप्रैल, 1991 से दिसम्बर, 1991 तक कुल कितनी विदेशी पूंजी आर्थिक सहायता के रूप में प्राप्त हुई थी ;

(ग) अप्रैल, 1992 से दिसम्बर, 1992 तक कितनी विदेशी आर्थिक सहायता प्राप्त हुई ;

(घ) इस सहायता राशि में ऋण तथा अनुदान के रूप में अलग-अलग कितनी राशि प्राप्त हुई है ;

(ङ) क्या सरकार ने इस सहायता-राशि में कमी के कारणों का पता लगाया है ; और

(च) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य क्षेत्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद) : (क) जी, हां ।

(ख) अप्रैल-दिसम्बर, 1991 के दौरान विदेशी सहायता का सकल संवितरण 7582 करोड़ रुपये था ।

(ग) अप्रैल-दिसम्बर, 1992 के दौरान विदेशी सहायता का सकल संवितरण 6.077 करोड़ रुपये था ।

(घ) अप्रैल, - दिसम्बर, 1991 और अप्रैल-दिसम्बर, 1992 के दौरान प्राप्त अनुदान की राशि क्रमशः 463 करोड़ रुपये और 593 करोड़ रुपये थी ।

(ङ) और (च) विदेशी सहायता को अधिकांश राशि विशिष्ट परियोजनाओं से आबद्ध होती है और इसलिये संवितरण परियोजना कार्यान्वयन अनुसूची के साथ जुड़े रहते हैं । वास्तविक कार्यान्वयन की गति परियोजना दर परियोजना